महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग, मेरठ / बागपत / बुलन्दशहर / गाजियाबाद / हापुड़ / गौतमबुद्धनगर / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / शामली / मुरादाबाद / अमरोहा / बिजनौर / रामपुर / सम्भल / आगरा / फिरोजाबाद / मैनपुरी / मथुरा / अलीगढ़ / कासगंज / हाथरस / एटा / बरेली / बदॉयू / शाहजहॉपुर / पीलीभीत / कानपुर नगर / कानपुर देहात / कन्नौज / इटावा / औरैया / फर्रुखाबाद / लखनऊ / रायबरेली / हरदोई / सीतापुर / उन्नाव / खीरी / फैजाबाद / बाराबंकी / सुल्तानपुर / अम्बेदकरनगर / अमेठी / गोण्डा / बहराइच / श्रावस्ती / बलरामपुर / बस्ती / सिद्वार्थनगर / संतकबीरनगर / गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर / महराजगंज।

पत्रांक 65 / चारा / 3–डी0–59 / रा0यो / 2015–16 दिनॉक 8 मार्च,2016

विषयः– प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिये पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्र संख्या–574 / बजट / 29(5) अनु0–15 / 31 / 2015–1दिनॉक 29.02.2016 एवं दिशा निर्देश निर्गत पत्र सं0 47 / प0–2 / चारा / 3–डी0–59 रा0यो / 2015–16 दिनॉक 03 मार्च,2016 का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि उक्त योजनान्तर्गत आवश्यक सामग्री यथा पालीथीन सीट एवं स्पिकलर की आपूर्ति अनुमोदित दरों पर आप द्वारा प्राप्त की जानी है। अतः सामग्री को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता मानकों से कोई भी विचलन न हो। उल्लिखित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आपूर्तित सामग्री की गुणवता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करायेगें एवं किसी भी प्रकार के विचलन पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरादायी होगें।

साथ ही आपूर्तित सामानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी भी संदेह की स्थिति में फर्म द्वारा टेण्डर के समय प्रस्तुत मास्टर सेम्पल जो कि निदेशालय के प्रचार शाखा में उपलब्ध है से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी स्वयं या नामित प्रतिनिधि आपूर्तित सामग्री का मिलान भी कर सकते हैं। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।